

समक्ष माननीय अध्यक्ष म० प्र० राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

क्र. 3397-2012/15 प्रकरण क्र. /निगरानी/15

७५

29/9/15  
30

1. अब्दुल वाहिद खां आ० अब्दुल मावूद खां  
निवासी ग्राम भगदेही तहसील बरेली जिला रायसेनम.प्र.
2. अब्दुल सलाम खां आ० अब्दुल मावूद खां  
निवासी बालागजं ईमामबाडा होशांगावद म.प्र.
3. अब्दुल अलीम खां आ० अब्दुल मावूद खां  
निवासी बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र.
4. अब्दुल मतीन खां आ० अब्दुल मावूद खां  
निवासी बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र.
5. साबरा बी पुत्री अब्दुल मावूद खां वेवा अजीम खां
6. राहत बी वेवा अजीम खां
7. कबीर खां आ० अजीम खां
8. छोटे खां आ० अजीम खां
9. रानी बी पुत्री अजीम खां
10. रफतब बी पुत्री अजीम खां
11. नुसरत बी पुत्री अजीम खां  
निवासीगण 05 लगायत 11 निवासी कस्बा बरेली तहसील  
बरेली जिला रायसेन म०प्र०

263

म.प्र. के मातहत 8/9/15  
द्वारा आज दिनांक 16/9/15  
पुत्रा

16-9-15  
अधीक्षक  
कार्यालय कमिश्नर  
भोपाल संभाग, भोपाल

12. गुड्डी बी पुत्री अजीम खां  
निवासी बाडी बरेली जिला रायसेन म०प्र० .....आवेदकगण  
विरुद्ध

अब्दुल वहीद खां आ० अब्दुल मावूद खां  
निवासी बरेली तहसील बरेली जिला  
रायसेन म०प्र० .....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र. 445/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 10/06/15 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।


*(Signature)*

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3397-पीबीआर/15

जिला रायसेन

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर   |
|----------------|--|--|
| 19.06.2018     | <p>आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में समझौता हो जाने के कारण प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अतः प्रकरण आवेदकगण के अनुरोध पर समाप्त किया जाता है ।</p> | <p><br/>अध्यक्ष</p> |